न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
36/2025	25.03.2025	08.05.2025

अनवान

1. पारसबाई पत्नी बालुदास जाति बैरागी आयु वयरक निवासी कुम्भाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीया

बनाम

1. उदयदास पुत्र भंवरदास जाति बैरागी आयु वयरक निवासी कुम्भाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. कंकु पुत्री भवंरदास पत्नी सुरेश जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कुम्भाखेडा हाल मुकाम हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. कालुदास पुत्र चुन्नीदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कुम्भाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. काली पुत्री भंवरदास पत्नी भैरूदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कुम्भाखेडा हाल मुकाम हडमतिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. गोरधनदास पुत्र मीठुदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कुम्भाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. चांदीबाई पत्नी भंवरदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कुम्भाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. मांगुदास पुत्र मीठुदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कुम्भाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. मांगी पुत्री चुन्नीदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कुम्भाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. मोतीदास पुत्र चुन्नीदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कुम्भाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. मोहनदास पुत्र चुन्नीदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कुम्भाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. रतनदास पुत्र भंवरदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कुम्भाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. रामेश्वरदास पुत्र चुन्नीदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कुम्भाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
13. श्यामदास पुत्र चुन्नीदास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी कुम्भाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
14. चुन्ना पुत्र परथु जाति जाट आयु वयस्क निवासी जयपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
15. रामा पुत्र चुन्ना जाति नाई आयु वयस्क निवासी जयपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
16. हजारी पुत्र चुन्ना जाति नाई आयु वयस्क निवासी जयपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
17. कालुसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी कुम्भाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
18. भंवरसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी कुम्भाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
19. चांदीबाई पत्नी चम्पालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी जयपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

स्थिति:– अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र भाम्बी
एकतरफा

प्रार्थीया
अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कुम्भाखेडा पटवार हल्का सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमावंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 39 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 191, 192, 203, 228, 229, 234, 235, 237, 238, 240 कुल किता 10 कुल रकबा 3.64 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 38 की आराजीयात आराजी संख्या 173, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 197, 225, 227, 230, 288 कुल किता 12 कुल रकवा 2.68 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीया के सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीया की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीया वर्णित भूमि के सहखातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक को अप्रार्थी संख्या 1 से 14 व 17 से 19 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 15 व 16 के विरूद्व कार्यवाही नही चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। हाजिर वकील प्रार्थीया द्वारा एक तरफा बहस बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस एकतरफा सुनी गयी। हाजिर वकील प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीया अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व वहस पर मनन किया। प्रार्थीया आराजियात जैरबहस के सहखातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–वहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के सहखातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीया की खातेदारी की आराजीयात मौजा कुम्भाखेडा पटवार हल्का सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 39 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 191, 192, 203, 228, 229, 234, 235, 237, 238, 240 कुल किता 10 कुल रकबा 3.64 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 38 की आराजीयात आराजी संख्या 173, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 197, 225, 227, 230, 288 कुल किता 12 कुल रकबा 2.68 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को विना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 पाण्डोली को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीया से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 08.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन
जिला–चित्तौड़गढ़

(राजेश सुवालका)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन
कपासन जिला-चित्तौडगढ